9.1.19

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट को न कोई नोटिस दिया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया। प्रभावित पक्षकारा को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के प्रकरण संख्या 309/2018 मे पारित आदेश दिनांक 17.12.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार'' रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण हेतु प्रचलित/चालू/सनातन/कदीमी एवं स्थाई रास्तों के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करने के कम मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है, किसी प्रकार का नया रास्ता निजी खातेदारो की भूमि से नही निकाला गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे स्थगन प्रार्थना को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है क्योंकि इससे प्रचलित रास्ता बन्द होने का अंदेशा है। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।

9/1/19

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर